न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 80 / 2023	2023 / 365	26–07–2023	20.11.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री बृजेश कुमार सैनी पुत्र श्री हमताराम सैनी निवासी रामपुर, तहसीलद बानसूर हाल निवासी प्रेम पवित्र होटल के सामने, राजावत होटल के पास, मोती डूंगरी, अलवर राज0।
02. श्री रवि सैनी पुत्र श्री राजेन्द्र सैनी, निवासी हीराबास, कालीमोरी फाटक, अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 08 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन (14.2 किग्रा). **6 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (5 किग्रा), 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (19 किग्रा), 18 रेग्यूलेटर तथा 2 मोटर को राजसात करने बाबत।**

उपस्थिति :–

1. श्री विनोद जुनेजा —विभागीय प्रतिनिधि।

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 08 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन (14.2 किग्रा). 6 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (5 किग्रा), 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (19 किग्रा), 18 रेग्यूलेटर तथा 2 मोटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 17.10.2022 को समय प्रातः 11:00 बजे श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस की अवैध रिफलिंग की जांच हेतु होटल प्रेम पवित्र के सामने, राजावत होटल के पास, शराब के ठेके के बगल में पहुंचे। मौके पर स्थित दुकान पर श्री बृजेश कुमार रौनी उपस्थित मिले। मौके पर श्री बृजेश कुमार सैनी द्वारा मारूति वैन संख्या RJ-02-UA-7605 में मोटर व पाईप के माध्यम से घरेलू गैस की रिफलिंग मारुति वैन के फयूल टैंक में की जा रही थी। मारूति वेन के ड्राईवर श्री रवि सैनी पुत्र श्री राजेन्द्र सैनी ने पूछताछ करने पर बताया कि वे बृजेश सैनी के दुकान से वैन में घरेलू गैस की रिफिल करने के लिए आता है तथा एक घरेलू गैस सिलेण्डर की रिफलिंग के 1120 रू० लिये जाते है। मौके पर श्री बृजेश कुमार सैनी की दुकान की जांच की गई, जिसमे 08 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन (14.2 किग्रा). 6 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (5 किग्रा), 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (19 किग्रा), 18 रेग्यूलेटर तथा 2 मोटर पाई गई। दोनों मोटर (मार्का LAWKIN व Cromption Greeves) के सुरक्षा पाईप लगी हुई है। मौके पर श्री बृजेश सैनी द्वारा घरेलू व व्यावसायिक सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री बृजेश कुमार सैनी द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग करना पाया गया है, जो कि जोकि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 8 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन (14.2 किग्रा), 6 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (5 किग्रा), 1

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (19 किग्रा), 18 रेग्यूलेटर, 2 मोटर (मार्का LAWKIN व Cromption Greeves) तथा मारूति वैन संख्या RJ-02-UA-7605 को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया है। मौके पर उक्त कब्जेराज 8 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा), 6 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (5 किग्रा), 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (19 किग्रा), 18 रेग्यूलेटर तथा 2 मोटर को गोविन्द गैस एजेंसी, अलवर के प्रतिनिधि श्री बीरबल चौधरी पुत्र श्री चेतन सिंह, उम्र–60 वर्ष, निवासी–डी–25, शालीमार, अलवर को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। कब्जेराज लिये गये मारूति वैन संख्या RJ-02-UA-7605 को श्री मकसूद खान पुत्र श्री समद खान, हाल कॉनिस्टेबल, धाना अरावली विहार, बेल्ट नं0 2032 को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 8 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन (14.2 किग्रा), 6 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (5 किग्रा), 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (19 किग्रा), 18 रेग्यूलेटर तथा 2 मोटर एवं मारूति वैन संख्या RJ-02-UA-7605 को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद रजि0 तलबी / तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता अनु0।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री बृजेश कुमार सैनी द्वारा मारूति वैन संख्या RJ-02-UA-7605 में मोटर व पाईप के माध्यम से घरेलू गैस से रिफलिंग मारूति वैन के फ्यूल टैंक में की जा रही थी तथा मारूति वेन के ड्राईवर श्री रवि सैनी पुत्र श्री राजेन्द्र सैनी ने पूछताछ करने पर बताया गया कि वह बृजेश सैनी के दुकान से वैन में घरेलू गैस की रिफिल करने के लिए आता है तथा एक घरेलू गैस सिलेण्डर की रिफलिंग के 1120 रू० लिये जाते है। वक्त जांच मौके पर श्री बृजेश कुमार सैनी की दुकान पर 08 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन (14.2 किग्रा). 6 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (5 किग्रा), 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (19 किग्रा), 18 रेग्यूलेटर तथा 2 मोटर पाई गई। वक्त जांच मौके पर श्री बृजेश सैनी द्वारा घरेलू व व्यावसायिक सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री बृजेश कुमार सैनी द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग करना पाया गया है, जो कि जोकि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन (14.2 किग्रा), 6 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (5 किग्रा), 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (19 किग्रा), 18 रेग्यूलेटर तथा 2 मोटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन (14.2 किग्रा), 6 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (5 किग्रा), 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर इंडेन (19 किग्रा), 18 रेग्यूलेटर तथा 2 मोटर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)